राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

डी.बी. आपराधिक अपील संख्या 65/2019

सलीम पुत्र अब्दुल वाहिद, उम्र लगभग 50 वर्ष, घर साई मुसलमान निवासी सीतापुर टोंक रोड, जयपुर वर्तमान में सरदारपुरा जे.के. रोड गोटन (सेंट्रल जेल, अजमेर में बंद)

----अपीलकर्ता

बनाम

राज्य, पी.पी. के माध्यम से

----प्रतिवादी

अपीलकर्ता(ओं) के लिए: श्री अशोक कुमार (वीसी के माध्यम से)
प्रतिवादी के लिए: श्री अनिल जोशी, पी.पी.

माननीय न्यायाधिपति संदीप मेहता
माननीय न्यायाधिपति कुमारी प्रभा शर्मा

<u>आदेश</u>

रिजर्व की तिथि 22/10/2020

घोषणा की तिथि 02/11/2020

<u>रिपोर्टेबल</u>

<u>न्यायालय द्वारा: (माननीय मेहता, जे.)</u>

सत्र प्रकरण संख्या 1/2018 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संख्या 2, परबतसर, जिला नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2018 को चुनौती देने के लिए अपीलकर्ता सलीम द्वारा तत्काल जेल अपील दायर की गई है।

जिसके तहत उन्हें दोषी ठहराया गया और निम्नानुसार सजा सुनाई गई: -

अपराध जिसके लिए दोषी ठहराया गया	***सज़ा सुनाई गई***
धारा 363 आईपीसी	10,000/- रुपये के जुर्माने के साथ सात साल का कठोर कारावास और जुर्माना न देने पर एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
धारा 363-ए आईपीसी	दस वर्ष का कठोर कारावास

	और 10,000 रुपये का जुर्माना और जुर्माना न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
धारा 365 आईपीसी	10,000/- रुपये के जुर्माने के साथ सात साल का कठोर कारावास और जुर्माना न देने पर एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
धारा 370(4) आईपीसी	आजीवन कारावास के साथ 20,000/- रुपये का जुर्माना, किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 23 छह महीने का साधारण कारावास और 5,000/- रुपये का जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त

	साधारण कारावास भुगतना होगा।

सभी सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया गया।

अपीलकर्ता की ओर से अपील पर बहस करने के लिए श्री अशोक कुमार, अधिवक्ता को न्याय मित्र नियुक्त किया गया था।

हमने श्री अशोक कुमार, एमिकस क्यूरी और विद्वान लोक अभियोजक द्वारा दी गई दलीलों को सुना और उन पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

अपील के निपटान के लिए प्रासंगिक और आवश्यक संक्षेप में बताए गए तथ्य यहां नीचे दिए गए हैं:

बंशीलाल ने अन्य बातों के अलावा आरोप लगाते हुए दिनांक 11.04.2010 को प्रभारी अधिकारी, पुलिस स्टेशन नावा को एक लिखित रिपोर्ट (एक्स.पी/7) प्रस्तुत की कि 30.03.2010 को, उनकी बेटी एमएसटी 'एम', उम्र 9 वर्ष, (बाद में 'पीड़िता' के रूप में संदर्भित) इलाके के अन्य बच्चों के साथ हनुमान जयंती उत्सव का आनंद लेने के लिए नावा गई थी। अन्य बच्चे शाम को लौट आए लेकिन उनकी बेटी वापस नहीं आई। उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों ने बच्ची की काफी तलाश की, जिस पर उन्हें पता चला कि उसे आखिरी बार एक

खिलौना बेचने वाले के पास देखा गया था, जो अजमल खान (पीडब्लू-2) के खोखे में किराए पर रहता था। उन्होंने आशंका जताई कि उक्त खिलौना विक्रेता ने पीड़िता का अपहरण कर लिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी जांच की जा रही थी. इस रिपोर्ट के आधार पर, आईपीसी की धारा 363 और 365 के तहत अपराध के लिए पुलिस स्टेशन नावा में एफआईआर संख्या 47/2010 (एक्स.पी/8) दर्ज की गई और जांच शुरू की गई।

रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने लापता लड़की का पता लगाने की पूरी कोशिश की लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अंततः यह निष्कर्ष निकालते हुए कि न तो आरोपी का पता लगाया जा सका और न ही पीड़िता का पता लगाया जा सका, 27.07.2010 को संबंधित न्यायालय में एक क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पांच साल बाद पुलिस थाना गोटन के अधिकारियों ने जानकारी जुटाई कि आरोपी सलीम बच्चों का उपयोग भिखारियों के रूप में और बाल श्रम के लिए कर रहा है, जिस पर, पुलिस ने कार्रवाई की और जेके रोड, गोटन में आरोपी-अपीलकर्ता के परिसर से सुश्री 'एम' (वर्तमान मामले की पीड़िता) सहित चार बच्चों का पता लगाया गया। आरोपी अपीलकर्ता सलीम को पुलिस थाना गोटन, जिला नागौर में दर्ज एफआईआर संख्या 176/2015

(एक्स.पी/10) के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। उक्त मामले में पूछताछ करने पर, उसने इस मामले की पीड़ित बच्ची (Mst.'M') को भीख मांगने आदि के काम में लगाने के उद्देश्य से अपहरण करने की बात स्वीकार की। इस पर, एफआईआर संख्या 47/2010 की जांच फिर से शुरू की गई। . पूछताछ करने पर, आरोपी ने अलग-अलग समय पर इन सभी बच्चों का अपहरण करने की बात स्वीकार की और यह भी बताया कि वह उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर करता था और उन्हें बाल मजदूर के रूप में भी काम पर लगाता था और पीड़ित बच्चों का उपयोग करके मुनाफा कमाता था। बच्ची एम.एस.टी.'एम' को सीडब्ल्यूसी, नागौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पीड़िता द्वारा बताए गए सुराग के आधार पर उसके माता-पिता का पता लगाया गया। आगे की जांच की गई और न्यायिक मजिस्ट्रेट, नावा की अदालत में जांच अधिकारी द्वारा सीआरपीसी की धारा 173 के तहत एक नई रिपोर्ट दायर की गई और निष्कर्ष निकाला गया कि अपीलकर्ता को धारा 363, 363ए, 365, 370 आईपीसी और किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 23 के तहत अपराध के मामले में शामिल पाया गया था। विद्वान मजिस्ट्रेट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। चूंकि कुछ अपराध सत्र विचारणीय थे, इसलिए मामला सुनवाई के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, परबतसर की अदालत को सौंपा गया था। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने उपरोक्त अपराधों के

लिए अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप तय किए। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए 14 गवाहों से पूछताछ की और 17 दस्तावेज़ प्रदर्शित किए। पीड़िता Mst.'M' से P.W.3 के रूप में पूछताछ की गई। उसने अपीलकर्ता की पहचान उस व्यक्ति के रूप में करने के लिए निर्विवाद साक्ष्य दिए, जिसने उसका अपहरण किया और फिर उसे भीख मांगने और मुन्नी मेघवाल के घर में घरेलू काम करने के लिए मजबूर किया। आरोपी से पूछताछ करने पर धारा 313 सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। और जब अभियोजन पक्ष के सबूतों में उसके खिलाफ दिखने वाली परिस्थितियों का सामना किया गया, तो उसने उससे इनकार कर दिया और निर्दोष होने का दावा किया, लेकिन उसने बचाव में कोई सबूत देने का विकल्प नहीं चुना।

विद्वान लोक अभियोजक और विद्वान बचाव पक्ष के वकील की दलीलों को सुनने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों की सराहना करने के बाद, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 13.12.2018 के आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। इसलिए यह अपील है।

यहां यह कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों में से, सबसे प्रासंगिक साक्ष्य अजमल खान (पीडब्लू-2), पीड़िता एमएसटी'एम'

(पीडब्लू-3), सीता देवी (पीडब्लू-4), रतन देवी (पीडब्लू-5), महावीर प्रसाद (पीडब्लू-12) और अमीन खान (पीडब्लू-13)।

अजमल खान (पीडब्लू-2) ने इस आशय का साक्ष्य दिया कि उसने अपनी दुकान सलीम (यहां आरोपी) को किराए पर दे दी थी क्योंकि सलीम ने उसे बताया था कि जयपुर के सीतापुरा स्थित उनका घर आग की एक घटना में नष्ट हो गया था और उनके परिवार के कुछ सदस्य भी इस दुर्घटना में जल गए और उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने यह भी बताया कि उनके दो बच्चे यानी एक बेटा और एक बेटी, दुर्घटना से बच गए और इसलिए वह नावा में रहना और अपना व्यवसाय चलाना चाहते हैं ताकि उनका भरण-पोषण हो सके। इस पर अजमल खान ने अपनी दुकान सलीम को किराए पर दे दी ताकि वह खिलौनों की दुकान चला सके। कुछ दिन बाद पुलिस आई और उससे सलीम के बारे में पूछताछ की। उसे एहसास हुआ कि सलीम ने बच्चों का अपहरण कर लिया है। इस गवाह की जिरह से गुजरने पर, यह स्पष्ट है कि ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं निकला जो उसके बयान के साक्ष्य मूल्य को कम कर सके।

मुख्य अभियोजन गवाह कोई और नहीं बल्कि पीड़िता सुश्री 'एम' (पीडब्लू 3) है। उसने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि घटना लगभग सात साल पहले हुई थी। उस समय वह आठ साल की

थी और दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। उन्होंने अपने दोनों भाई-बहनों का नाम विमला और महेश बताया और कहा कि वह अपने माता-पिता यानी मां सीता देवी और पिता बंशी लाल की सबसे छोटी संतान हैं। उनके पिता मोकासिन (जूटिस) तैयार करते थे। वह नावां में बालाजी मेला देखने गई थी और खिलौने की दुकान पर गई थी. दुकान में दुकानदार के साथ दो और बच्चे (एक लड़का और एक लड़की) मौजूद थे, जिन्होंने उसे कुछ खिलौने दिए और फुसलाया और फिर उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। उसने खुद को सलीम बताया और उसे अपने घर ले गया, अपना सामान इकट्ठा किया, टैक्सी में बैठाया और उसे नवा रेलवे स्टेशन ले गया। उस वक्त उनके साथ बाकी दो बच्चे भी थे. उन्हें मुंडवा ले जाया गया जहां वे एक धोबी के घर में रुके। सलीम ने उसे और बाकी दो बच्चों को मुंडवा रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने के लिए मजबूर किया। उसे रूण और फिर खजवाना ले जाया गया। इरफान नाम के लड़के को सलीम ने एक होटल में नौकरी पर रखा था। फरज़ाना नाम की लड़की को सलीम बीकानेर से लाया था। इरफान, फरजाना, रेहाना और पीड़िता को सलीम विभिन्न स्थानों, अर्थात् भोपालगढ़, बीकानेर और खाटू में ले गया, जहां उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर किया गया। सलीम सभी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करता था। उन्हें मेड़ता ले जाया गया, जहां उन्हें दो साल तक रहने के लिए मजबूर किया गया। फिर उन्हें गोटन ले जाया गया. वे

एक तेली के घर रुके। सलीम ने उसे घर का काम करने के लिए मुन्नी मेघवाल नामक व्यक्ति के घर पर काम पर लगा दिया। मुन्नी ने उससे पूछताछ की, जिस पर उसने बताया कि सलीम ने उसका अपहरण कर लिया है। उसने मुन्नी को अपने पिता और माँ का नाम भी बताया और अपने गाँव का नाम भी बताया। शाम को जब सलीम उसे वापस लेने आया तो मुन्नी ने उसे अपने साथ नहीं जाने दिया, जिस पर सलीम का मुन्नी से झगड़ा हो गया और मुन्नी ने पुलिस को सूचना दे दी. पुलिस अधिकारी आए और पीड़िता फरजाना, रेहाना और इरफान को थाने ले गए. सलीम ने अपनी पहचान ज़रीना के नाम से दी थी. उसे और अन्य लड़कियों को नारी निकेतन, अजमेर ले जाया गया। उसकी मां वहां आई और दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया. जांच अधिकारी उसे नावा ले गए जहां उसने अपने स्कूल, अपने घर, उस स्थान की पहचान की जहां उसके पिता काम करते थे। उसने अदालत में आरोपी सलीम को अपने अपहरणकर्ता के रूप में पहचाना और कहा कि वह उसे भीख मांगने के लिए मजबूर करता था और यह भी कि आरोपी उसे लगातार प्रताड़ित करता था। पीड़िता से की गई जिरह का उद्देश्य उसकी पहचान पर विवाद करना और उसके इस दावे पर सवाल उठाना था कि वह बंशी लाल और सीता देवी की बेटी थी। हालाँकि, नाबालिग ने दृढ़ता से उससे की गई जिरह का सामना किया और उसे ज़रा भी हिलाया नहीं जा सका। पीड़िता के पूरे बयान का विश्लेषण करने के बाद,

हमारी दृढ़ राय है कि उसने निर्विवाद सबूत दिए हैं, जिसमें आरोपी पर उसका और अन्य नाबालिगों का अपहरण करने और फिर उन्हें भीख मांगने आदि के लिए इस्तेमाल करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जाहिर है, इस प्रकार, बच्ची की तस्करी का कृत्य तब तक जारी रहा जब तक कि वह वर्ष 2015 में आरोपियों के चंगुल से बच नहीं गई।

महावीर प्रसाद (पीडब्लू-12) एएसआई, जिन्होंने फ़ाइल को दोबारा खोलने के बाद मामले की आगे की जांच की, बच्चे की बरामदगी, आयु संबंधी दस्तावेजों की खरीद आदि के संबंध में सकारात्मक साक्ष्य दिए और इस तथ्य की पुष्टि के लिए साक्ष्य एकत्र किए कि बरामद बच्ची पीड़िता सुश्री 'एम' कोई और नहीं बल्कि बंशी लाल और सीता देवी की बेटी थी। बचाव पक्ष के वकील द्वारा इस गवाह से कोई महत्वपूर्ण जिरह नहीं की गई। यहां यह कहा जा सकता है कि बंशी लाल की मृत्यु हो गई और इस प्रकार, उनसे साक्ष्य की जांच नहीं की जा सकी। पीड़ित बच्चे की मां सीता देवी से पीडब्लू-4 के रूप में साक्ष्य के तौर पर पूछताछ की गई। उसने मेले से अपने बच्चे के लापता होने के संबंध में पुख्ता और पुख्ता सबूत दिए। पीड़िता एमएसटी'एम' को बरामद कर लिया गया और उसे अजमेर बालिका गृह/नारी निकेतन में रखा गया, जहां गवाह और बच्ची ने एक-दूसरे को मां और बेटी के रूप में पहचाना। शुरुआत में बच्चा उसे नहीं सौंपा गया। हालाँकि, जांच

अधिकारी द्वारा इस तथ्य की पुष्टि करने के बाद कि बच्चा कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी Mst.'M' थी, बच्चे की कस्टडी गवाह को दे दी गई। मुख्य परीक्षा में उसके द्वारा दिए गए दावों के संबंध में गवाह से कोई महत्वपूर्ण जिरह नहीं की गई।

इस प्रकार, हम इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हैं कि अभियोजन पक्ष ने ठोस और पुख्ता सबूतों से यह साबित कर दिया है कि अपीलकर्ता ने श्रीमती की बेटी 'एम' का अपहरण कर लिया है। सीता देवी (पीडब्लू-4) और पहले मुखबिर बंशी लाल ने नावा शहर के मेले से उसे फुसलाया और उसके बाद उसे लगातार भीख मांगने और बाल श्रम के लिए मजबूर किया गया। आरोपियों की आपत्तिजनक हरकतें साल 2015 तक जारी रहीं, तब तक आईपीसी की धारा 370 के संशोधित प्रावधान लागू हो चुके थे। हालाँकि, जांच अधिकारी ने आरोपी के खिलाफ धारा 173 सीआरपीसी के तहत नई रिपोर्ट केवल धारा 370 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दर्ज की, जैसा कि वर्ष 2010 में था।

यहां यह कहा जा सकता है कि "तस्करी" का अपराध पहली बार आपराधिक कानून संशोधन दिनांक 03.02.2013 के माध्यम से आईपीसी में पेश किया गया था और निम्नलिखित नए प्रावधानों को क़ानून में शामिल किया गया था:

"370. व्यक्ति की तस्करी. - (1) जो कोई, शोषण के उद्देश्य से, (ए) भर्ती करता है, (बी) परिवहन करता है, (सी) आश्रय देता है, (डी) स्थानांतरण करता है, या (ई) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को प्राप्त करता है,

पहला. - धमकियों का उपयोग करना, या

दूसरी बात. - बल प्रयोग, या किसी अन्य प्रकार की जबरदस्ती,

या

तीसरा. - अपहरण द्वारा, या

चौथा. - धोखाधड़ी, या धोखाधड़ी का अभ्यास करके, या

पांचवां. - सत्ता के दुरुपयोग से, या

छठा. - भर्ती, परिवहन, आश्रय, स्थानांतरित या प्राप्त व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले किसी भी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए भुगतान या लाभ देने या प्राप्त करने सहित प्रलोभन द्वारा, तस्करी का अपराध किया जाता है।

स्पष्टीकरण 1. - अभिव्यक्ति "शोषण" में शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य या किसी भी प्रकार का यौन शोषण, गुलामी या गुलामी, दासता, या अंगों को जबरन हटाने के समान प्रथाएं शामिल होंगी।

स्पष्टीकरण 2. - तस्करी के अपराध के निर्धारण में पीड़ित की सहमति महत्वहीन है।

(2) जो कोई भी तस्करी का अपराध करेगा, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात साल से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(3) जहां अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों की तस्करी शामिल है, वहां कठोर कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
(4) जहां अपराध में नाबालिग की तस्करी शामिल है, वहां कठोर कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे

आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

(5) जहां अपराध में एक से अधिक नाबालिगों की तस्करी शामिल है, वहां कठोर कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि चौदह वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। .

(6) यदि किसी व्यक्ति को एक से अधिक अवसरों पर नाबालिग की तस्करी के अपराध में दोषी ठहराया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा।

जिसका मतलब उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास होगा, और जुर्माना भी देना होगा।

(7) जब कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की तस्करी में शामिल होता है, तो ऐसे लोक सेवक या पुलिस अधिकारी को आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा।

जिसका मतलब उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन

के लिए कारावास होगा, और जुर्माना भी देना होगा।"

हमें लगता है कि जैसे ही बच्चे का पता लगाया गया और उसने अपीलकर्ता के खिलाफ वर्ष 2015 तक उसकी तस्करी के प्रासंगिक आरोप लगाए, पुलिस को धारा 173 सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट में गंभीर अपराध दर्ज करना चाहिए था। यानी धारा 370(4) आई.पी.सी. क्योंकि बच्चे को भीख मांगने और बाल श्रमिक के रूप में धकेलना जारी रखते हुए, आरोपी ने निश्चित रूप से आईपीसी की धारा 370 (4) में परिभाषित बाल तस्करी का अपराध किया है।

हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि जांच एजेंसी ने इस मामले में गलती की है और लोक अभियोजक और ट्रायल कोर्ट ने भी गलती की है। पीड़िता का बयान शपथ पर दर्ज होने के बाद भी आरोपी-अपीलार्थी के खिलाफ आईपीसी की धारा 370(4) के तहत न तो कोई विशेष आरोप तय किया गया था और न ही आरोप में इस आशय का संशोधन किया गया था।

हमारा दृढ़ विचार है कि ट्रायल कोर्ट ने आरोप तय करते समय गलती की और आरोप को उचित रूप से संशोधित करने में असफल रहा और ऐसा किए बिना, अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 370(4)

के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उस मामले में आजीवन कारावास की सजा दी गई है।

विद्वान न्याय मित्र श्री अशोक कुमार का एकमात्र तर्क यह है कि आईपीसी की धारा 370(4) के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता की सजा बरकरार नहीं रखी जा सकती क्योंकि अपराध प्रकृति में पूर्वव्यापी नहीं है और केवल धारा 370 आईपीसी के तहत आरोप है। इसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला तय किया गया, जिसके लिए अधिकतम सजा केवल सात साल के कठोर कारावास की है। उन्होंने दलील दी कि आईपीसी की धारा 370(4) के तहत अपराध के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज अपीलकर्ता की सजा की सीमा तक आक्षेपित फैसले को रद्द किया जाना चाहिए। इस प्रकार वह इन शर्तों में अपील की आंशिक स्वीकृति के लिए प्रार्थना करता है।

विद्वान लोक अभियोजक ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि निचली अदालत में जांच अधिकारी और विद्वान लोक अभियोजक ने सीआरपीसी की धारा 173 के तहत अगली रिपोर्ट दाखिल करते समय गलती की। धारा 370 (4) आईपीसी के तहत अपराध के लिए न तो आरोप पत्र दायर किया गया था और न ही अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 370 (4) आईपीसी के तहत उपयुक्त आरोप तय करने के लिए ट्रायल कोर्ट से कोई प्रार्थना की गई थी। इस प्रकार

निचली अदालत आरोपी के खिलाफ विशिष्ट आरोप तय किए बिना उसे इस अपराध के लिए दोषी नहीं ठहरा सकती थी।

जैसा हो सकता है वैसा रहने दें। कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि कोई भी दंडात्मक क़ानून जो सज़ा की कठोरता को बढ़ाता है उसे पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। मुकदमे का सामना कर रहे किसी आरोपी को किसी गंभीर अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता और सजा नहीं दी जा सकती, जिसके लिए उसके खिलाफ कोई आरोप तय नहीं किया गया है। यह एक तथ्य है कि वर्तमान मामले में, आईपीसी की धारा 370 के तहत अपराध शुरू में वर्ष 2010 में एफआईआर दर्ज करने के समय लागू किया गया था और यह सही भी है क्योंकि उस समय तस्करी का अपराध अस्तित्व में नहीं था। धारा 370(4) आईपीसी के संदर्भ में बच्चों की तस्करी को पहली बार 03.02.2013 को क़ानून में पेश किया गया था।

सतही तौर पर, हम एमिकस क्यूरी श्री अशोक कुमार के तर्क से आश्वस्त हैं कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज धारा 370 (4) आईपीसी के तहत अपराध के लिए आरोपी की सजा को कायम नहीं रखा जा सकता है क्योंकि उस पर ऐसे अपराध के लिए कोई आरोप तय नहीं किया गया था। बहरहाल, यह न्यायालय इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हो सकता कि बच्ची एमएसटी'एम' (पीडब्लू-3) के साक्ष्य से यह विधिवत स्थापित हो

गया है कि आरोपी उसे भीख मांगने के लिए इस्तेमाल करता रहा और पुलिस स्टेशन गोटन में दर्ज एफआईआर नंबर 176/2015 की जांच के दौरान 02.08.2015 को बरामद होने तक वह एक घरेलू मजदूर के रूप में थी। इस प्रकार, स्पष्ट रूप से, 'बाल तस्करी' का अपराध आईपीसी की धारा 370(4) की शुरुआत की तारीख यानी 03.02.2013 से बच्चे की बरामदगी तक यानी 02.08.2015 तक जारी रहा। इस प्रकार, यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें आरोपी के खिलाफ आरोप को बदलने/संशोधित करने और धारा 370¼4) आई.पी.सी. के तहत गंभीर अपराध के लिए मुकदमा चलाने के उद्देश्य से ट्रायल कोर्ट द्वारा सीआरपीसी की धारा 217 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था।

हम इस तथ्य से अवगत हैं कि इस मामले में बच्चों के अपहरण और उन्हें "तस्करी" के अधीन करने का गंभीर आरोप शामिल है। ये आरोप अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य से आरोपियों के खिलाफ मजबूती से स्थापित होते हैं जिनका हमने सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया है (सुप्रा)।

धारा 386 (बी) (i) सीआरपीसी के आधार पर, जो इस प्रकार है:-

386. अपीलीय न्यायालय की शक्ति. ऐसे रिकॉर्ड का अवलोकन करने और अपीलकर्ता या उसके वकील को सुनने के बाद, यदि वह उपस्थित होता है, और लोक अभियोजक यदि वह उपस्थित होता है, और धारा 377 या धारा 378 के तहत अपील के मामले में, यदि अभियुक्त उपस्थित होता है, तो अपीलीय न्यायालय, यदि वह मानता है कि हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो अपील खारिज कर सकता है, या-

(ए) किसी आदेश या बरी किए जाने की अपील में, ऐसे आदेश को उलट दें और निर्देश दें कि आगे की जांच की जाए, या आरोपी पर फिर से मुकदमा चलाया जाए या मुकदमा चलाया जाए, जैसा भी मामला हो, या उसे दोषी पाया जाए और उसे कानून के अनुसार सजा दी जाए;

(बी) किसी दोषसिद्धि की अपील में-

(i) निष्कर्ष और सजा को उलट सकता है और आरोपी को बरी कर सकता है या आरोपमुक्त कर सकता है, या उसे ऐसे अपीलीय न्यायालय के अधीनस्थ सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा पुन: मुकदमा चलाने का

आदेश दे सकता है या मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध कर सकता है, या

अपीलीय अदालत दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की सुनवाई करते समय ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष को पलट सकती है और सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत द्वारा पुन: सुनवाई का आदेश दे सकती है। हमारा दृढ़ मत है कि मामले के तथ्य सीआरपीसी की धारा 217 के साथ पठित धारा 386 (बी) (आई) के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग की गारंटी देते हैं।

ऊपर उल्लिखित गंभीर तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, पीड़ित के साथ-साथ आरोपी को पूर्ण न्याय देने के लिए, हम सीआरपीसी की धारा 386 द्वारा अपीलीय अदालत को प्रदत्त इन शक्तियों का प्रयोग करके आरोपी के खिलाफ फिर से मुकदमा चलाने का निर्देश देना जरूरी समझते हैं।

तदनुसार, हमने सीआरपीसी की धारा 217 के साथ पठित धारा 386 (बी) (आई) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संख्या 2, परबतसर जिला नागौर द्वारा पारित दिनांक 13.12.2018 के आक्षेपित फैसले को रद्द कर दिया है, नए सिरे से मुकदमा चलाने के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 370(4) के तहत संशोधित आरोप तय करने के लिए मामले को ट्रायल

कोर्ट में भेज दिया गया है। इसके बाद, अभियोजन पक्ष के साथ-साथ अभियुक्त को भी वांछित गवाहों की जांच करने (वापस बुलाने सहित) का अवसर दिया जाएगा। हालाँकि, ट्रायल कोर्ट को सभी गवाहों के साक्ष्य नए सिरे से दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। उपरोक्त शर्तों में गवाहों को वापस बुलाने और उनसे नए सिरे से पूछताछ करने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद, ट्रायल कोर्ट, यदि आवश्यक हो, धारा 313 सीआरपीसी के तहत आरोपी से दोबारा पूछताछ करेगा। और उसे बचाव में साक्ष्य का नेतृत्व करने का अवसर दें और फिर कानून के अनुसार मामले को नए सिरे से तय करें। जैसा कि ऊपर निर्देशित है, संपूर्ण प्रक्रिया इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर समाप्त की जाएगी। तब तक आरोपी हिरासत में ही रहेंगे।

तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है।

न्यायाधीश, (कुमारी प्रभा शर्मा) **न्यायाधीश, (संदीप मेहता)**

(अनुवाद एआई टूल: SUVAS के माध्यम से अनुवादक की मदद से किया गया है)

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय का उपयोग वादी को अपनी भाषा में समझने के लिए सीमित उपयोग के लिए किया जाता है और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।